

**लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 157वीं बैठक दिनांक
21 जून, 2016 का कार्यवृत्त**

उपस्थिति:-

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 01. | श्री सदाकान्त | अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0। |
| 02. | श्री सत्येन्द्र सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 03. | श्री उदय राज सिंह | नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 04. | श्री अजय कुमार मिश्र | मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश। |
| 05. | श्री लोरिक यादव | निदेशक, कोषागार, लखनऊ मण्डल। |
| 06. | श्री सी0डी0एस0 यादव | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-मुख्य अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ। |
| 07. | श्री आर0पी0 यादव | क्षे0पर्य0अधि0, प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0। |
| 08. | श्री विजय सिंह यादव | सदस्य, ल0वि0प्रा0 |
| 09. | श्री सौरभ सिंह 'मोनू' | मा0 पार्षद/सदस्य, ल0वि0प्रा0 |

अन्य उपस्थिति:-

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 10. | श्री श्रीश चन्द्र वर्मा | सचिव, ल0वि0प्रा0। |
| 11. | श्रीमती सीमा सिंह | अपर सचिव, ल0वि0प्रा0। |
| 12. | श्री एन0एन0 सिंह | संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0 |
| 13. | श्री ओ0पी0 मिश्र | मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0। |
| 14. | श्री जे0एन0 रेड्डी | मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 |
| 15. | हरीकृष्ण यादव | मुख्य लेखाधिकारी, ल0वि0प्रा0 |





उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल०वि०प्रा०/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन तथा उपस्थित सदस्यों के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.05.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अवगत कराया गया कि प्राप्त एक आपत्ति के संबंध में आपत्तिकर्ता को उत्तर प्रेषित कर दिया गया है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.05.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं यह निर्देश दिये गये कि जिन प्रकरणों में पूर्व में निर्णय लिया जाता है, उनका समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विषय संख्या : 3

उ०प्र० के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014) के अन्तर्गत मे० स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा०लि० द्वारा दिनांक 21.03.2016 को प्रस्तुत डी०पी०आर० (80 एकड़) पर डी०पी०आर० समिति की संस्तुति दिनांक 26.04.2016 को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

मे० स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा०लि० द्वारा 80 एकड़ क्षेत्रफल पर (ग्राम-बेली व शिवलर, जनपद-लखनऊ) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डी०पी०आर० पर समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 4

खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ का भू-उपयोग ग्रीन (पी-1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

पूर्व में यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था। पुनः प्रस्ताव बिना परीक्षण के बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सचिव, ल०वि०प्रा० की अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया जाय, जिसमें मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ०प्र० (सदस्य) एवं

मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० (संयोजक सदस्य) होंगे। गठित समिति समस्त तथ्यों का परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेगी एवं समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुविचारित प्रस्ताव यथा-समय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 5

हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत नजूल भूमि, जिसका अर्जन राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण लिया गया था, के प्रभावित काश्तकारों को योजना के क्रियान्वयन के हित में अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत जिस समय भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी, उस समय भूमि काश्तकारों के नाम भूमिधरी के रूप में अंकित थी। बाद में तथ्यों की जानकारी होने पर कलेक्टर तथा सक्षम अधिकारियों के द्वारा इस भूमि को नजूल भूमि घोषित किया गया। चूंकि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति होती है, इसलिए इसका मुआवजा किसी व्यक्ति या किसान को नहीं दिया जा सकता, लेकिन correction of revenue record के समय यह संज्ञान में आया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमिधरी मानते हुए की गई। यह तथ्य बाद में प्रकाश में आया इसलिए यह राजस्व अधिनियम के तहत तकनीकी विषय है, चूंकि अब यह स्थापित हो गया है कि यह भूमि नजूल है, इसलिए मुआवजे के रूप में धनराशि नियमानुसार किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अतः जब तक यह विवाद बना हुआ है और सक्षम स्तर से इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यह व्यवहारिक होगा कि सहमति के आधार पर सैद्धान्तिक रूप से किसानों को Ex-gratia amount दिया जाना औचित्यपूर्ण होगा। इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण और किसानों के आपसी समझौते के आधार पर Ex-gratia amount का निर्धारण किये जाने तथा व्यावहारिक समाधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 6

श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर/ट्रेसर (सेवानिवृत्त) को अर्जन अनुभाग में संविदा के आधार पर सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त सेवानिवृत्त श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर/ट्रेसर को अर्जन अनुभाग में संविदा-कर्मि के रूप में 01 वर्ष हेतु सेवा में लिये जाने (Extended for one year only) प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।




विषय संख्या : 7

उजरियांव आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि खसरा संख्या-90 स्थित ग्राम-भरवारा की भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर श्री प्रेम सिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी० विकसित भूखण्ड आवंटित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त उजरियांव आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि खसरा संख्या-90 स्थित ग्राम-भरवारा की भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर श्री प्रेम सिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी० विकसित भूखण्ड समायोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि किसी अन्य प्रकरण में इसे भविष्य के लिए दृष्टांत न बनाया जाय।

विषय संख्या : 8

श्री अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण एवं चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

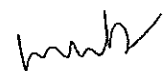
सम्यक् विचारोपरान्त श्री अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण एवं चिकित्सा पर व्यय कुल धनराशि रु० 9,43,096/- (नौ लाख तैतालिस हजार छियान्नबे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 9

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय को हाई सिक्वोरिटी जोन की घोषणा कर बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 को लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ-फैजाबाद रोड, गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच का भवन वर्तमान में निर्मित हो चुका है और वर्तमान में कैसरबाग स्थित मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच को विभूति खण्ड स्थित नवीन भवन में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही चल रही है। मा० उच्च न्यायालय के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 1,61,921 वर्गमीटर (40 एकड़) भूमि दिनांक 31.08.1993 को आवंटित की गई थी। भवन का मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक

13.09.2013 को स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण की कार्यदायी संस्था उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया तथा वर्ष 2016 में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 15.04.2016 को लोकार्पण भी किया जा चुका है। इस प्रकार मा० उच्च न्यायालय हेतु भूमि आवंटन से लेकर भवन निर्माण तक लम्बी प्रक्रिया रही है। मा० उच्च न्यायालय के निर्माण के पश्चात् अब यह विषय आया है कि मा० उच्च न्यायालय अत्यन्त संवेदनशील स्थान है, इसके लिए एक यथा-सम्भव सुरक्षा परिधि हई-सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाय। मा० उच्च न्यायालय की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता को देखते हुए मा० उच्च न्यायालय परिसर के आस-पास निकट क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा परिधि (High Security Zone) घोषित किया जा सकता है।

चूँकि गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत यह भवन स्थापित हुआ और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना वर्ष 1980 में प्रारम्भ हो गई थी एवं वर्ष 1982 में आवासीय भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण खोले गये तथा संस्थागत एवं व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटन हेतु नियमानुसार विज्ञापन वर्ष 1985 में जनता के लिए खोले गए थे और वर्तमान में भी नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया चल रही है। विभूति खण्ड जहाँ मा० उच्च न्यायालय हेतु नवीन भवन निर्मित किया गया है, के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों का भी विकास मास्टर प्लान-2021 एवं जोनल प्लान के अनुसार विकास कार्य पूर्व से ही गतिमान है और इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से आस-पास के भूखण्डों का आवंटन भी नीलामी के माध्यम से विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं एवं अन्य एकल व्यक्तियों को किया जा चुका है तथा नियमानुसार निबन्धनोपरान्त आवंटियों द्वारा भवन निर्माण आदि की कार्यवाही भी कराई जा चुकी है। इस प्रकार जहाँ एक तरफ मा० उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही समानान्तर रूप से विभूति खण्ड में आवंटित भूखण्डों के विकास की प्रक्रिया भी नियमानुसार गतिमान थी। जहाँ बहुत से भूखण्डों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कतिपय भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर अग्रसर है। ऐसी अवस्था में मा० उच्च न्यायालय के भवन परिसर बाउंड्रीवाल से 100 मी० के

३१

~~~~~

क्षेत्र को सैद्धान्तिक रूप से हाई-सिक्योरिटी जोन घोषित किया जा सकता है, परन्तु इस हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों में कुछ शिथिलता देने की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के भवन से 100 मी0 की परिधि तक हाई-सिक्योरिटी जोन की परिकल्पना करते हुए निर्णय विचाराधीन है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय को आपत्ति है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2015 द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि मा0 उच्च न्यायालय की बाउण्ड्री से 100 मी0 की परिधि को हाई-सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाय। लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा सर्वोपरि है। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता सम्भव नहीं है। अतः भवन की बाउण्ड्री से 100 मी0 की परिधि को हाई-सिक्योरिटी जोन घोषित करने और उसके लिए क्या-क्या नियम व शर्तें होंगी, इसके लिए प्रमुख सचिव-गृह की अध्यक्षता में डी0जी0 पुलिस, प्रमुख सचिव-न्याय एवं रजिस्ट्रार जनरल-हाईकोर्ट की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर निर्णय लिये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से अनुरोध करें। गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जो निर्णय राज्य सरकार के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए हम दृढ़-संकल्प हैं। तदनुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

#### विषय संख्या: 10

लखनऊ-हरदोई रोड पर प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना की लगभग 60.243 हे0 भूमि "सामुदायिक सुविधाएं" से "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

#### निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की हरदोई रोड, बसंतकुंज योजना के अन्तर्गत ग्राम-बरीकला के 45.235 हे0 एवं बरावन खुर्द की 15.009 हे0 कुल 60.243 हे0 जिला-लखनऊ की भूमि को "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थान" से "आवासीय" भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।





विषय संख्या: 11

आई0डी0 सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज द्वारा खसरा संख्या-201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू-उपयोग 'आवासीय' से 'सामुदायिक सुविधायें' उपयोगितायें एवं सेवायें (डेन्टल कालेज) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2013 को हुई बैठक के आधार पर संशोधित प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रश्नगत प्रस्ताव इस क्षेत्र के भू-उपयोग के परिवर्तन से सम्बन्धित है, किसी डेन्टल कालेज या निजी संस्थान के साथ जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए डेन्टल कालेज अथवा उसके आसपास स्थित निर्माणों के बिन्दु के परीक्षण का यह अवसर नहीं है। जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन का विषय विचारणीय है। अतः जनता की सुविधाओं को देखते हुए व्यापक जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या: 12

55, रामतीरथ मार्ग, लखनऊ (रायल गार्डन) की भूमि लगभग 8750 वर्गमी0 लखनऊ महायोजना-2021 के अनुमन्य प्राविधानों में बाजार स्ट्रीट/कार्यालय उपयोग से आवासीय (समूह आवासीय) भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रश्नगत प्रस्ताव में गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति की संस्तुति स्वीकार करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या: 13निर्णय :

लखनऊ महायोजना 2031 की संरचना के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। लखनऊ महायोजना-2031 (प्रारूप) अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिए गए कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-11 के अन्तर्गत एक माह की समयावधि निर्धारित करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाय। इस हेतु प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

विषय संख्या: 14निर्णय :

शासन के पत्र संख्या-462/8-3-16-34विविध/08 दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्राप्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में प्रस्तावित संशोधनों का अंगीकरण।

सम्यक् विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011) में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।




विषय संख्या: 15

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त शासन की नियमावली-2010 को अंगीकृत करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या: 16

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार।

निर्णय :

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के निस्तारण हेतु समिति का गठन कर केस-टू-केस परीक्षण कर शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या: 17

“सहारा स्टेट” जानकीपुरम् के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

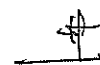
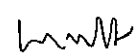
पूर्व में प्रकरण के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों और प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया जाय और लखनऊ विकास प्राधिकरण सुसंगत नियमों के अनुसार इसमें मेरिट के आधार पर कार्यवाही करें। सैद्धान्तिक रूप से आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

विषय संख्या: 18

खसरा संख्या-242, ग्राम-मकदूमपुर के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट संख्या-67/एलए/2010 में 106 वर्गमी0 भूमि पर पारित स्थगनादेश तथा शासनादेश संख्या-346/8-3-16-38एलए/13 दिनांक 06.06.2016 के क्रम में नये भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-24(2) के अन्तर्गत निराकरण हेतु शासन को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

बोर्ड के समक्ष यह विवाद का विषय लाया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसका स्वयं समाधान करना चाहिए था। भूमि अधिग्रहण के समय स्थलीय परीक्षण न किये जाने के कारण सम्भवतः यह विवाद उत्पन्न हुआ है। किसानों द्वारा मुआवजा भी नहीं लिया गया है और उनके द्वारा भूमि अर्जन-मुक्त कराये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है एवं मा0 न्यायालय में प्रकरण लम्बित भी रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर 32 से अधिक आवंटियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं जिनमें से 11 आवंटियों द्वारा भूखण्डों का निबन्धन भी कराया जा



चुका है तथा शेष आवंटियों द्वारा पूरा पैसा भी जमा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में किसानों के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाता है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को समाधान करना होगा कि जिन भूखण्डों की रजिस्ट्री की जा चुकी है, उनके लिये क्या विकल्प है। इसलिए यह भूमि अधिग्रहण से छूट का प्रकरण न होकर मूलरूप से विवाद का विषय है और इसका समाधान लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही सम्भव है। इस हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक सनिति का गठन कर लिया जाय, जो किसानों तथा आवंटियों से दार्ता कर व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तत्पश्चात् समिति की रिपोर्ट अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी एवं प्राधिकरण द्वारा ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। फिर भी यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगता है कि प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है, तो प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

**विषय संख्या: 19**

हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत भू-स्वामियों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.1991 के अनुसार प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की जाती है।

**विषय संख्या: 20**

भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन से उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग-1 व 2 के किसानों द्वारा वर्तमान सर्किल रेट के 4 गुना की दर से प्रतिकर की मांग दृष्टिगत लैण्ड पूलिंग पद्धति से किसानों की सहभागिता के आधार पर योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

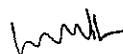
शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग के सम्बन्ध में नवीन शासनादेश निर्गत किया जा चुका है, जिसके प्रकाश में कार्यवाही हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं सक्षम है। अतः सैद्धान्तिक रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

**विषय संख्या: 21**

दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

**निर्णय :**

सम्यक् विचारोपरान्त आडिट आपत्तियों के निराकरण के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या: 22

उ०प्र० नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के मध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014) के अन्तर्गत मे० ओमेगा इन्फ्राबिल्ड प्रा०लि० द्वारा दिनांक 28.11.2015 को प्रस्तुत डी०पी०आर० (25.00 एकड़) पर डी०पी०आर० समिति की संस्तुति दिनांक 10.06.2016 के अनुरूप प्रस्तुत संशोधित डी०पी०आर० दिनांक 18.06.2016 को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)  
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)  
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(सदाकान्त) 25/6/16.

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उ०प्र० शासन, लखनऊ।